स्वास्थ्य प्रशासन संदेह के घेरे में

‘सुपर’ के वैद्यकीय अधीक्षक की जांच रिपोर्ट कहां छिपी है? क्यों हो रहा कार्रवाई में विलंब?

प्रतिनिधि/प्रतिदिन अखबार
अमरावती, 22 फरवरी- विभागीय संदर्भ सेवा अस्पताल(सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल) के प्रभारी वैद्यकीय अधीक्षक पर निजी लैब चलाने के मामले में स्वास्थ्य प्रशासन की ओर से जांच समिति स्थापित की गई थी. संबंधित जांच समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत होने को डेढ़ माह से अधिक की कालावधि हो रही है, किंतु प्रस्तुत की गई जांच रिपोर्ट के अनुसार किसी भी प्रकार की कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है. कार्रवाई के संबंध में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से भी संपर्क करने पर उनकी ओर से कोई प्रतिसाद नहीं मिला. जिसके कारण स्वास्थ्य विभाग की भूमिका पर भी संदेह व्यक्त हो रहा है तथा जांच समिति की रिपोर्ट निश्चित रूप से कहां छिपी है, ऐसा प्रश्न उपस्थित होता है.

शासकीय स्वास्थ्य सेवा में रहने वाले डॉक्टरों को किसी भी निजी अस्पताल अथवा दूसरे के नाम पर अस्पताल में निजी प्रैक्टिस करने को मनाही है. जिसके कारण सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल के प्रभारी वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. अमोल नरोटे निजी लैब चला रहे हैं, ऐसा आरोप रश्मी राऊत नाम की एक महिला ने स्वास्थ्य सेवा संचालक से किया था. जिसके कारण डॉ. नरोटे के खिलाफ 7 दिसंबर 2022 को त्रिसदस्यीय जांच समिति स्थापित की गई थी. संपूर्ण समिति द्वारा जांच करके 5 जनवरी को अपने वरिष्ठों को जांच रिपोर्ट सौंप दी थी. यह रिपोर्ट जिला शल्य चिकित्सक कार्यालय की ओर से विभागीय स्वास्थ्य उपसंचालक कार्यालय, अकोला कार्यालय को भी प्रस्तुत की गई, किंतु संबंधित रिपोर्ट के संबंध में अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई. रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद नियमानुसार कार्रवाई होना अपेक्षित होते हुए भी कार्रवाई को विलंब क्यों हो रहा है? ऐसा प्रश्न उपस्थित होता है. प्रस्तुत की गई रिपोर्ट ही दबाने का प्रयास होने की चर्चा फिलहाल वैद्यकीय क्षेत्र में शुरू है. जिसके कारण स्वास्थ्य प्रशासन संबंधित रिपोर्ट के संदर्भ में क्या कार्रवाई करता है, ऐसा प्रश्न उपस्थित होता है.

दंपति ने 65 लाख का चूना लगाया

सालभर में निवेश का तिगुना लौटाने का झांसा प्रताप नगर में मामला दर्ज

प्रतिनिधि/प्रतिदिन अखबार
नागपुर, 22 फरवरी- शेयर बाजार में निवेश करने पर सालभर में तिगुनी राशि लौटाने का झांसा देकर एक दंपति ने 65 लाख रुपए की ठगी की है. सवा तीन साल से पैसों के लिए चक्कर काट रहे निवेशकों की शिकायत पर प्रतापनगर पुलिस ने मामला दर्ज किया है. आरोपी दीपक जयंतीलाल कुरानी तथा उनकी पत्नी हीना दीपक कुरानी, पूनम विहार, स्वावलंबी नगर है.

खामला निवासी 54 वर्षीय हरीश गोल्हार बीमा और शेयर का काम करते हैं. उनकी 2006 में आरोपी दीपक कुरानी से पहचान हुई थी. कुरानी भी बीमा और म्युच्युअल फंड का काम करते थे. उनकी पत्नी हिना एलआईसी एजेंट थीं. एक ही कारोबार में होने से गोल्हार और कुरानी के बीच अच्छे संबंध हो गए थे. अगस्त 2018 में कुरानी ने गोल्हार और उनकी पत्नी को अपने घर बुलाया. कुरानी ने गोल्हार को एक प्लान की जानकारी देते हुए ‘मैं शेयर बाजार और रियल स्टेट का काम करता हूं. यदि उन्होंने निवेश किया तो एक साल में निवेश राशि का तिगुना वापस मिलेगा.’ बोला कुछ दिन पहले ही गोल्हार की मां ने कुरानी के परिचित को 60 लाख रुपए में प्लॉट बेचा था. प्लॉट की राशि गोल्हार के पास होने से कुरानी दंपति उन्हें बार-बार फोन कर निवेश करने के लिए बोल रहे थे. इसके बाद गोल्हार ने 5 सितंबर 2018 को अपने और मां की नाम से 41 लाख रुपए का निवेश किया.

बाउंस हो गया चेक

एक साल बीत जाने के बाद गोल्हार ने कुरानी दंपति से मुनाफा सहित राशि लौटाने को कहा. कुरानी ने अपने समीर दाबलिया के साथ बच्चों को आर्थिक शिक्षा देने के लिए कंपनी आरंभ करने का बताकर उसमें निवेश करने का बताया. इसी दौरान कुरानी दंपति के पास रमाकांत उमाप ने 1.10 लाख, परेश पटेल ने 7.16 लाख, मुकेश पटेल ने 11 लाख तथा मिलिंद वंजारी ने 5 लाख रुपए का निवेश किया. दिसंबर 2021 में दीपक कुरानी की हृदयाघात से मृत्यु हो गई. उसके तीन माह बाद गोल्हार ने कुरानी की पत्नी और साले से पैसे लौटाने को कहा. उन्होंने गोल्हाने को 41.20 लाख रुपए का चेक दिया. यह चेक बाउंस हो गया. इसके बाद कुरानी की पत्नी ने रुपए देने से इंकार कर दिया. जिसके बाद गोल्हार और अन्य निवेशकों ने शिकायत दर्ज कराई.

शिवजयंती पर विडा ने मनाया रोटी डे

प्रतिनिधि/प्रतिदिन अखबार
अमरावती, 22 फरवरी- स्थानीय ‘विजन इंटेग्रिटी डेवलपमेंट असोसिएशन (विडा)’ स्वयंसेवी संस्था निराश्रित, गरीब, जरूरतमंद लोगों की उन्नति के लिए पिछले 8 वर्षों से समाजोभिमुख कार्य कर रही है. संस्था की ओर से एक अनोखा डे अर्थात ‘रोटी डे’ मनाया जाता है.

‘अन्नदान ही श्रेष्ठदान है’ इसी तर्ज पर ‘रोटी डे’ मनाया जाता है. प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी संस्था की ओर से शिवजयंती निमित्त आसपास के परिसरों में रोटी डे मनाया गया. संस्था के कार्यकर्ताओं ने इस दिन भूख से व्याकुल आबाल वृध्दों को ढूंढ़कर उन्हें भरपेट मिष्ठान्न भोजन करवाया. शिव जयंती के दिन कोई भूखा न रहे. यही इस उपक्रम का उद्देश्य होने की बात संस्था के सदस्य सचिन शेरेकर ने कही. शिवजयंती के दिन प्रातः 11 बजे विद्यापीठ के समीप हरिहर नगर-दत्तविहार कॉलोनी में शिवांगण इस संस्था के कार्यालय के समक्ष परिसर के नागरिकों ने एकत्रित होकर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का पूजन करके रोटी डे उपक्रम प्रारंभ किया. परिसर में रहने वाले भूखे, गरीब, जरूरतमंद नागरिकों को मिष्ठान्न भोजन वितरित किया गया. जिसके बाद शहर के इर्विन हॉस्पिटल परिसर, रेलवे स्टेशन, वालकट कंपाउंड, जयस्तंभ चौक, राजक मल चौक, राजापेठ आदि मार्गों पर भूखे, गरीब तथा जरूरतमंद नागरिकों को मिष्ठान्न भोजन का वितरण किया गया.

खविसं की 47 सीटों के लिए 197 नामांकन

पड़ताल में 5 नामांकन खारिज, 19 को मतदान

प्रतिदिन/प्रतिदिन अखबार
अमरावती, 22 फरवरी- बाजार समिति चुनाव के चलते कुछ अधिक महत्व प्राप्त हो जाने वाले चांदूर बाजार, अंजनगांव सुर्जी व नांदगांव खंडेश्वर खरीदी-बिक्री संघ के चुनाव पर अच्छा खासा राजनीतिक रंग चढ़ गया है. इन तीनों खरीदी-बिक्री संघ का चुनाव आगामी 19 मार्च को होना है और कुल 47 पदों के लिए 197 नामांकन प्राप्त हुए थे. जिसमें से जांच पड़ताल के बाद 5 नामांकन अवैध पाए गए. ऐसे में अब कुल 192 प्रत्याशी मैदान में है, जिन्हें अपना नामांकन वापस लेने हेतु 6 मार्च तक का समय दिया गया है.

बता दें कि जिले में चांदूर बाजार, अंजनगांव सुर्जी व नांदगांव खंडेश्वर इन तीनों खरीदी-बिक्री संघों के चुनाव आगामी 19 मार्च को एक ही दिन होने वाले हैं. जिसमें से चांदूर बाजार खरीदी-बिक्री संघ के चुनाव में विधायक बच्चू कडू और जिप के पूर्व अध्यक्ष बबलू देशमुख के पैनल एक-दूसरे के सामने-सामने हैं. चांदूर बाजार खरीदी-बिक्री संघ में 15 संचालक पदों के लिए कुल 44 नामांकन प्राप्त हुए थे. जिसमें से पड़ताल के बाद 2 नामांकन खारिज हो गए.ऐसे में अब मैदान में 42 प्रत्याशी है. इसके साथ ही अंजनगांव सुर्जी में 17 सीटों के लिए 95 इच्छुकों ने नामांकन दाखिल किए थे, जिसमें से 3 के नामांकन खारिज हो गए और अब 92 प्रत्याशी मैदान में है. इसके अलावा नांदगांव खंडेश्वर खरीदी-बिक्री संघ के 15 संचालक पदों हेतु 58 नामांकन दाखिल हुए.

जिसमें से कोई नामांकन खारिज नहीं हुआ. ऐसे में सभी 58 प्रत्याशी मैदान में है. इन तीनों खरीदी-बिक्री संघों के संचालक पद हेतु मैदान में रहने वाले प्रत्याशियों के पास अपना नामांकन पीछे लेने हेतु 6 मार्च तक समय है.

उल्लेखनीय है कि कुछ प्रत्याशियों ने एक से अधिक नामांकन दायर कर रखे हैं. ऐसे में नामांकन वापसी की अंतिम तिथि तक उनके द्वारा अपने अतिरिक्त नामांकनों को वापस लिया जा सकता है.

एसटी कर्मियों को अब 7 को मिलेगा वेतन

220 करोड़ मिलेंगे : सरकार हर महीने रियायती मूल्य राशि का भुगतान करेगी

प्रतिनिधि/प्रतिदिन अखबार
यवतमाल, 22 फरवरी- महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के 85 हजार अधिकारियों व कर्मचारियों के खाते में अब हर महीने की 7 तारीख को वेतन जमा हो जाएगा. वेतन की नियमित अदायगी के लिए राज्य सरकार ने एक फैसला किया है. जिसके अनुसार रियायती मूल्य के 220 करोड़ रुपयों के साथ एसटी निगम के खाते में अतिरिक्त राशि के प्रतिमाह 100 करोड़ रुए जमा करवाए जाएंगे.

ज्ञात हो कि महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा 29 प्रकार की रियायतें प्रदान की जाती हैं. जिसमें 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों, छात्रों, विकलांग व्यक्तियों, विभिन्न पुरस्कार प्राप्त लोगों, 65 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों आदि के लिए मुफ्त यात्रा शामिल है. इस यात्रा रियायत की राशि का भुगतान सरकार द्वारा निगम को किया जाता है. इससे सरकार पर प्रतिमाह करीब 200 करोड़ रुपए की राशि बकाया रहती है, किंतु लंबे समय से सरकार इस राशि का भुगतान नहीं कर रही थी. आवश्यकता पड़ने पर निगम को इंतजार करना पड़ता था. जबकि एसटी की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर हो गई है. दैनिक खर्च भी मुश्किल से पूरे हो रहे हैं. डीजल की दैनिक राशि की अदायगी भी मुश्किल से हो रही है, ऐसे में हर महीने वेतन का मुद्दा उठता है.इस संबंध में महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी संगठन के महासचिव श्रीरंग बरगे ने बताया कि आमदनी कम और

खर्च ज्यादा होने के कारण निगम के कर्मचारियों को हर महीने वेतन भी देर से मिलता है. इस समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार ने हर माह रियायती मूल्य की राशि का भुगतान करने का निर्णय लिया है. यह राशि हर महीने की 30 तारीख को एसटी निगम के खाते में जमा कराने का भी प्रावधान किया जाने वाला है.

...तो 350 का चैनल पैकेज 600 रु. में मिलेगा!

विदर्भ केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन, चैनल कंपनियों और एमएसओ का विवाद कोर्ट में

प्रतिनिधि/प्रतिदिन अखबार
नागपुर, 22 फरवरी- विदर्भ केबल ऑपरेटर एसोसिएशन के मुताबिक मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स (जैसे यूसीएन, जीटीपीएल) ने चैनल कंपनियों यानी ब्रॉडकास्टर्स के साथ करार पर हस्ताक्षर करते हैं, तो दर्शकों को 600 रुपए में 350 रुपए का मासिक पैकेज खरीदना होगा. यह डीटीएच के लिए भी लागू है. इस मामले में ऑल इंडिया डिजिटल केबल फेडरेशन (एआईडीसीएफ) की याचिका पर केरल, गुजरात और मुंबई हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है और समाधान निकलने की संभावना है. विदर्भ केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मंगलवार को एक पत्रकार वार्ता में विश्वास जताया कि दर्शक चैनल के कार्यक्रमों को पहले की तरह देख पाएंगे.

ब्रॉडकास्टर्स यानी सोनी, स्टार, जी टीवी ने मासिक शुल्क में बढ़ोतरी का हवाला देते हुए 18 फरवरी को सुबह 8 बजे से संबंधित चैनलों का प्रसारण बंद कर दिया है. इससे बच्चों से लेकर बड़े तक सभी निराश हैं. एसोसिएशन के अध्यक्ष सुभाष बांते ने बताया कि एमएसओ ने ग्राहकों के हित में समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया. चैनल कंपनियों का प्रसारण बंद करना लोगों को ठगने का एक तरीका है. चैनल बंद होने को लेकर उपभोक्ताओं ने सारा गुस्सा केबल ऑपरेटरों पर निकाल रहे हैं. हमारी लड़ाई यह सुनिश्चित करने के लिए है कि उपभोक्ताओं पर बढ़ी हुई दरों का

असर न पड़े. हम लोगों को सच्चाई बताने की कोशिश कर रहे हैं.

ट्राई ने पहली बार 2017 में एक नए नियामक ढांचे (एनटीओ 1.0) की घोषणा की, ताकि उपभोक्ता कम कीमत पर केबल टीवी और डीटीएच पर अपनी पसंद के चैनल एक्सेस कर सकें. इसे फरवरी 2019 में लागू किया गया था. उस वक्त कुछ चैनलों के रेट 400 फीसदी तक बढ़ा दिए गए थे. फिर एनटीओ 2.0 की घोषणा की. खास चैनलों की दरों में भी काफी वृद्धि हुई है. अंत में समाधान के तौर पर एमएसओ ने 350 रुपए से 260 रुपए के पैकेज की घोषणा की. लेकिन तीसरे एनटीओ 3.0 में स्वतंत्र चैनल दरों में 141 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. इसलिए, 350 रुपए का मासिक शुल्क बढ़कर 600 रुपए हो जाएगा. इसलिए एसएसओ और केबल ऑपरेटर इस दरवृद्धि का विरोध कर रहे हैं.

पत्रकार वार्ता में रीतेश श्रीवास्तव, मजहर शेख, प्रभात अग्रवाल, योगेश देशमुख, रमेश लांजेवार, ठाकरे, श्याम बर्वे, संजय लोकुडकर, अरविंदर सिंह भांबरा आदि उपस्थित थे.

बडनेरा शहर कांग्रेस ने छत्रपति शिवाजी महाराज का किया अभिवादन

प्रतिनिधि/प्रतिदिन अखबार
अमरावती, 22 फरवरी- रविवार, 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर बडनेरा शहर कांग्रेस की तरफ से नेताजी चौक स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले पर माल्यार्पण कर अभिवादन किया गया. इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राध्यापक सिंग ने की. मुख्य अतिथि के रूप में समाजसेवक उत्तमराव भैसने व शेख नूर बिसमिल्ला उपस्थित थे. इसके अलावा संजय बोबड़े, प्रकाश पहुरकर, अर्चना बोबड़े, रज्जू बाबा, भारती पाटिल, छाया बनसोड़, ललिता तायडे, चंद्रकला कोठारी, रोमिना मोट्रोरो, प्रा. कृष्णराव गभने, दत्ता गेडाम, महेश येते, शहंशाह आदि उपस्थित थे. कार्यक्रम का संचालन संजय बोबड़े ने तथा आभार प्रदर्शन किशोर खोब्रागड़े ने किया.

MAHATRANSCO
Maharashtra State Electricity Transmission Co. Ltd.

SRM E-TENDER NOTICE

MSETCL invites online bids (E-Tender) from registered suppliers/agencies on MAHATRANSCO SRM portal for the following tender:

Tender No.	Estimated Cost (in Rs.)	EMD (in Rs.) (To be paid Online only)	Tender Fee (in Rs.) (To be paid Online only)	Date of Downloading	Due Date of Submission
MSETCL/SE/ EHV O&M/C/ AMT/Tech/ 2022-23/T-25 (Re-Tender)	E-Tender towards the “Work of Contract for Online Punctured Insulator Detection (PID) of 400 KV Lines under jurisdiction of 400 KV Line Maintenance Sub-Division Yavatmal under EHV O&M Circle, Amravati.”				
RFx No. 7000026253 (Re-Tender)	96,33,109.93	96,331.10	500/- (Excluding GST)	17.02.2023 to 24.02.2023	24.02.2023 up to 17:45 Hrs.

Contact Person: The Executive Engineer (Adm.), EHV O&M Circle, “Prakash Sarita”, C Wing, 2nd Floor, 220 kV S/Stn. Premises, Morshi Road, Amravati - 444603.
Contact No.: 0721-2661097, Mob: 8554989376, e-mail ID: **se1100@mahatransco.in**. For further details, please visit our website: **https://srmetender.mahatransco.in**
Note: The tender notice for Tender No. T-25/2022-23 (Re-Tender) is already published on MSETCL's website.

Sd/-
Superintending Engineer
EHV O&M Circle, Amravati

कच्ची शराब के 3 अड्डों पर मारा छापा

65 हजार का माल जब्त, फ्रेजरपुरा पुलिस की कार्रवाई

प्रतिनिधि/प्रतिदिन अखबार
अमरावती, 22 फरवरी- घूमंतुओं के बेड़ों पर पिछले कई वर्षों से बड़े पैमाने पर कच्ची शराब निमित कर बिक्री की जा रही है. इसी तरह फिर से फ्रेजरपुरा पुलिस ने तीन जगह पर छापामार कार्रवाई कर हजारों रुपए का माल जब्त किया है.

जानकारी के मुताबिक हाल ही में फ्रेजरपुरा पुलिस ने घूमंतुओं के बेड़ों पर चार जगह पर छापामार कार्रवाई की थी, लेकिन पुलिस को फिर से गोपनीय जानकारी मिली कि कुछ आरोपियों ने कच्ची शराब बनानी शुरू रखी है. पुलिस ने वडाली के सुदर्शन नगर में भोलासिंग अजाबसिंग टांक, परिहारपुरा में एक महिला व राजुरा परिसर के एक घर में कच्ची शराब बरामद की गई. पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर उनसे 65 हजार रु. का माल जब्त किया. यह कार्रवाई पुलिस निरीक्षक गोरखनाथ जाधव के मार्गदर्शन में पीएसआई गजानन राजमुले, योगेश श्रीवास, सुनील सोलंके, श्रीकांत खड़से, हरीश चौधरी, महेंद्र वलके, धनराज ठाकुर, विनोद काटकर, अमर कराले, पूर्णिमा कुंबलकर, सपना बेलोकार ने की है.

अमरावती महानगरपालिका अमरावती
(भांडार विभाग)
ई-निविदा मुदतवाढ / शुद्धीपत्रक

जा.क्र/अमनपा/भां.वि./४०४/२
दि. :- २२/०२/२०२३

अमरावती महानगरपालिकेच्या भांडार विभागामार्फत जा.क्र. अमनपा/भां.वि/उपा/३८४/२३ दि.०६/०२/२०२३ नुसार ई-निविदा प्रसिद्धी झालेली आहे. खालील ID असलेल्या निविदेला ०७ दिवसांची मुदतवाढ देण्यात येत आहे. ज्या निविदाधारकांनी यापुर्वी निविदा भरलेल्या असतील त्या कायम राहतील व त्यांना पुन्हा निविदा भरण्याची आवश्यकता नाही.

अ.क्र.	कामाचे नाव	ई-टेंडर ID
१	अमरावती महानगरपालिकेच्या कार्यालयास लागणारे फार्म, पुस्तके, पाकिटे व रजिस्टर छपाई करुन पुरवठा करण्याबाबत.	२०२३AMC_८७०३६६१

ई-निविदा शुद्धीपत्रक	
ई- निविदा दाखल करण्याची अंतिम दिनांक	दि. ०१/०३/२०२३ रोजी दु.४.०० वाजेपर्यंत.
ई- निविदा उघडण्याची अंतिम दिनांक	दि. ०३/०३/२०२३ रोजी दु.४.०० वाजता शक्य झाल्यास.
(Financial) ई- निविदा उघडण्याची दिनांक व वेळ Mail व Sms द्वारे कळविण्यात येईल.	

भांडार अधिक्षक
महानगरपालिका अमरावती

मेलघाट के 15 प्रभागों में दोबारा होंगे चुनाव

जिले की 4 तहसीलों में 24 आरक्षित सीटों पर उम्मीदवार ही न मिलने से फिर से चुनाव

प्रतिनिधि/प्रतिदिन अखबार
अमरावती, 22 फरवरी- चुनाव आयोग की नियमावली के अनुसार स्थानीय निकाय संस्थाओं के चुनाव में प्रभागों का आरक्षण संबंधित प्रभाग की जातिनिहाय वोटों की स्थिति के आधार पर रखा जाता है, लेकिन वर्ष 2021 से अब तक हुए अमरावती जिले की 14 ग्राम पंचायतों में अधिकतर प्रभागों में फिर से चुनाव करवाना है. क्योंकि चांदूर बाजार, मोर्शी, वरुड़ और दर्यापुर आदि 4 तहसील की 24 आरक्षित सीटों पर कोई भी उम्मीदवार नहीं मिलने से वहां पिछले वर्ष दिसंबर माह में हुए चुनाव में मतदान नहीं कराया गया. वहीं, वर्ष 2021 में ग्राम पंचायत के जो चुनाव हुए थे उसमें धारणी और चिखलदरा तहसील के 15 प्रभागों में विजयी हुए उम्मीदवार चुनाव जीतने के बाद एक वर्ष के कार्यकाल में अपना जाति जांच प्रमाणपत्र चुनाव अधिकारी के समक्ष पेश नहीं कर पाए, जिससे अब इस गांव में फिर से चुनाव कराए जा रहे हैं. किंतु अब प्रशासन ने निर्णय लिया है कि इस उपचुनाव में पुरानी ही स्थिति बरकरार रही तो वह इन प्रभागों का आरक्षण ही बदलने की अपील वरिष्ठ चुनाव अधिकारियों से करेंगे.

कोरोना का प्रतिबंध हटते ही 2021 से अमरावती जिले की 14 तहसील के विविध चरणों में ग्राम पंचायतों के चुनाव घोषित हुए थे. पहले चरण में जिले के आदिवासी बहुल धारणी और मेलघाट में जहां चुनाव हुए उनमें से धारणी तहसील के हरिसाल और दाबिदा के उम्मीदवार दो सीटों से चुनकर आने के कारण उन्हें एक प्रभाग से इस्तीफा देना पड़ा. वहीं कुसुमकोट बु., नागझिरा, धुलघाट रेलवे, बिजुधावड़ी, सुसर्दा के दो प्रभाग, चटवाबोट के एक प्रभाग में निर्वाचित सदस्यों ने इस्तीफा दिया तथा चाकर्दा की सीट अनुसूचित जनजाति के महिला के लिए आरक्षित थी, लेकिन वहां महिला उम्मीदवार ही नहीं मिलने से वहां अब फिर से चुनाव करवाया जा रहा है. कुछ इसी तरह की स्थिति आरक्षित सीटों के मामले में चांदूर बाजार, मोर्शी और दर्यापुर व वरुड़ तहसील में देखी गई. यहां कुल 24 प्रभागों में आरक्षित सीटों पर उम्मीदवार ही नहीं मिलने से वहां अब फिर से प्रभाग रचना कर उपचुनाव कराया जा रहा है. वहीं, चिखलदरा तहसील के सेमाडोह, अडाव, नागापुर, खड़ीमल, सोमठाना खुर्द, रुईपठार, चूर्णी आदि ग्राम पंचायतों के 15 प्रभागों में उम्मीदवारों ने नियम के अनुसार एक साल में जाति जांच प्रमाणपत्र संबंधित चुनाव अधिकारी के पास जमा नहीं किए. जिला प्रशासन का कहना है कि इन सभी प्रभागों में जहां कास्ट वेलिडिटी की समस्या निर्माण हुई और जहां आरक्षित सीटों पर उम्मीदवार ही नहीं मिले वहां पुरानी ही स्थिति इस बार अगर कायम रही तो इन सभी प्रभागों का आरक्षण आने वाले दिनों में बदला जाएगा.

उपचुनाव की असली वजह

8 जनवरी 2021 व अक्टूबर 2022 तथा दिसंबर 2022 के ग्राम पंचायत चुनाव में अनुसूचित जनजाति का पद कुछ सीटों पर आरक्षित रखा था. वहां चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के जात वैधता प्रमाणपत्र के लिए जरूरी सबूत उपलब्ध नहीं थे. धारणी, चिखलदरा, वरुड़, मोर्शी तहसील मध्यप्रदेश से सटे अधिकांश यहां के निवासी पूर्व के मध्यप्रदेश के रहने से वे वहां के सबूत उपलब्ध नहीं कर पाए. जिससे उनका पद रिक्त रहा. किंतु जिला चुनाव विभाग ने इसकी सत्यता जांचने के लिए यहां फिर से चुनाव लगाए है. इस चुनाव में सीटें फिर रिक्त रही तो ग्राम पंचायत अधिनियम 1966 की कलम 4 के अनुसार आरक्षण बदलने की कार्रवाई की जाएगी.

आरक्षित सीटों के लिए नही मिले ये प्रत्याशी

तहसील	यहां नहीं मिले उम्मीदवार
भातकुली	हाथखेड़ा, हरतोटी
नांदगांव खंडे.	लोहगांव, कोदोरी के दो प्रभाग
मोर्शी	ढोमक, उमरखेड़ के दो प्रभाग, बेलोना के दो प्रभाग, आखतवाड़ा
वरुड़	डवरगांव के 4 प्रभाग, वंडली
चांदूर बाजार	सरफापुर के चार प्रभाग, मिर्जापुर के दो प्रभाग, कल्होड़ी

जाति जांच प्रमाणपत्र न मिलने से हुई उम्मीदवारी रद्द

चिखलदरा	सोमठाणा खुर्द ग्रामपंचायत के 5 प्रभागों के सदस्यों के उम्मीदवारी रद्द
चुर्णी	रुईपठार ग्रामपंचायत की चार महिला सदस्यों का समावेश
धारणी	काटकुंभ व रंगूबेली ग्रापं की पांच महिला सदस्यों की उम्मीदवारी रद्द